न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, **RAS**)

राजस्व आवेदन संख्या 120/2022 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रावताराम पुत्र सगराराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. अणसीदेवी पुत्री सगराराम पत्नी तगाराम 3. आसूदेवी पुत्री सगराराम पत्नी खींयाराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी हाल निवासी कपूरड़ी तहसील व जिला बाड़मेर 4. दमीदेवी पुत्री सगराराम पत्नी सरूपाराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी हाल निवासी रामपुरा पोस्ट बाटाडू तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र लाखाराम 2. देदा पुत्र माणा फौत 2.1 करनाराम पुत्र देदाराम 3. हेमीदेवी पत्नी खेताराम 4. अखाराम पुत्र देवाराम 5. दीपाराम पुत्र देवार 6. भींयाराम पुत्र देवाराम 7. मेघाराम पुत्र देवाराम 8. शेराराम पुत्र देवाराम 9. पूरो पत्नी देवाराम 10. ओमप्रकाश पुत्र हरखाराम 11. जोगाराम पुत्र रूगनाथराम 12. तेजाराम पुत्र मुकनाराम 13. नवलाराम पुत्र मुकनाराम 14. भगाराम पुत्र रूगनाथराम 15. मेगाराम पुत्र रूगनाथराम 16. भंवरीदेवी पत्नी समरथाराम 17. विजेन्द्रकुमार पुत्र समरथाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भंवरीदेवी पत्नी समरथाराम 18. खेताराम पुत्र सगराराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण — श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2 — श्री जेठाराम कुमावत।
3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 4, 6 से 9, 12, 13 व 16 — श्री बालाराम गोदारा।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 14.03.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1224/787 रकबा 1.9425 हैक्टेयर मौजा माताजी की भाखरी, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 787, 1163/790, 1164/790, 1162/790, 790, 1226/1163, 783 रकबा क्रमशः 5.7374, 0.9874, 1.2302, 1.2302, 1.2302, 0.2428, 7.6890 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से दिनांक 13.12.2022 की मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थी संख्या 4, 6 से 9, 12, 13 व 16 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करने तथा रकबा संशोधन होने पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर दिनांक 01.03.2024 को प्राप्त की गई। उक्त तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 3 गट्ठा है। उक्त मौका रिपोर्ट में विपार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दुओं का निस्तारण किया जाकर संशोधित रिपोर्ट पेश की गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा माताजी की भाखरी के खसरा नम्बर 1226/1163 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से रकबा 0.0161 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 1163/790 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से रकबा 0.0242 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर1162/790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.0404 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 783 रकबा 7.6890 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647+ 0.0890 कुल रकबा 0.1537 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जायेगी।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से दिनांक 01.03.2024 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार क्षतिपूर्ति राशि पर रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 4, 6 से 9, 12, 12, व 16 के अधिवक्ता द्वारा भी उक्त प्रस्तावित रास्ता अनुसार सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा माताजी की भाखरी के खसरा नम्बर 1226/1163 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से रकबा 0.0161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1163/790 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से रकबा 0.0242 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर1162/790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.0404 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 783 रकबा 7.6890 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647+ 0.0890 (कुल 0.1537) हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी तक आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम विकल्प है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण की खातेदारी तक आवागमन हेतु निकटतम्, लघुतम एवं सुगम विकल्प होने से मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1224/787 रकबा 1.9425 हैक्टेयर मौजा माताजी की भाखरी, पटवार मण्डल भीयाड़, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1226/1163 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से रकबा 0.0161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1163/790 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से रकबा 0.0242 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2/1 के खसरा नम्बर 790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1162/790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर, विप्रार्थीनी संख्या 3 के खेत खसरा नम्बर 1164/790 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से रकबा 0.0404 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 से 9 के खसरा नम्बर 783 रकबा 7.6890 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 + 0.0890 (कुल 0.1537) हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)